(d) whether it is also a fact that for the promotion of officers to Junior Administrative Grade (JAG) and above grades, the bench mark is 'Very Good' entry in the A.C.R.;

(e) whether Government are aware that the entries 'Good' and 'Average' in the ACR cause more damage to the officers/officials concerned than the entry categorised as 'Poor'; and

(f) if so, whether Government are considering to take steps, to remove this anamoly by treating the grading 'Average' and 'Good' also as adverse remarks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) Yes, Sir, except that the recognised grading is 'Below Average' and not 'Poor'.

(b) and (c) The instructions provide for communication of adverse remarks in the ACR of a Government servant within one month of completion of the Report. The grading 'Below Average' supported by adverse remarks would be treated as adverse for this purpose.

(d) Yes Sir.

(e) and (f) According to the instructions on the subject, the Departmental Promotion Committee is expected to decide its own method and procedures for an objective assessment of the suitability of officers for promotion. The Committee is required to make assessment in such cases without being guided merely by the overall grading given in the ACRs.

3273. [*Transferred to 24th August, 1993*]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3274. **श्री विलोप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार और भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों का केन्द्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसकी सेवा-काल में मृत्यु हो गई और जो सेवा-अवधि पूर्ण करके सेवा निवृत्त हुए ;

(ख) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है जो सेवा-काल में मृत हुए और सेवानिवृत्त हुए और जिनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली और जिनके पेंशन और अन्य देयों के मामलों का अन्तिम रूप से निपटान कर दिया गया ; और

(ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति वाली श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लम्बित मामलों और 1 जुलाई, 1993 को देयों के भुगतान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त तिथि तक केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े कर्मचारियों की उक्त श्रेणी से संबंधित मामलों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है अतः इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने तथा साथ ही पेंशन तथा अन्य देय राशियां तय करने की शक्तियां विकेन्द्रीकृत करके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दे दी गई है । अतः इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती ।

3275. [*Transferred to 24th August, 1993*]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कार्यकरण

3276. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक मामले सौंपे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के गठन के समय उसके मूल कार्य कौन-कौन से थे; और

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के काम-काज को उसके मूल कार्यों, अर्थात् रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने तक सीमित रखने पर विचार करेगी जिससे वह अपने कार्य बेहतर ढंग से कर सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) :

(क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसका गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत किया गया था, उसे लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और अन्य किस्म के कदाचारों से संबंधित कतिपय विशिष्ट अपराधों की पूछताछ तथा जांच के बारे में अपने पुलिस अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946

से प्राप्त होते हैं । तथापि, अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष पुलिस स्थापना से जांच कराए जाने वाले अपराधों अथवा अपराधों का स्वरूप निर्दिष्ट कर सकती है ।

(ग) जी, नहीं ।

अधिकारियों की जवाबदेही

3277. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों की बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) :

(क) से (घ) सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों में पहले ही किए गए प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है जिनमें विभिन्न सेवाओं को संचालित करने के लिए आचरण और अनुशासन संबंधी नियम शामिल हैं । बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र 20 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में, जवाबदेही को अधिक प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पहले ही उपाय किए गए हैं । इनमें निम्न उपाय शामिल हैं ।

–विभिन्न श्रेणियों के मामलों के संबंध में निर्णय लिए जाने के स्तर और उन्हें प्रस्तुत करने के चैनल निर्धारित करना ।

–कार्य योजनाएं तैयार करना और इनके कार्यान्वयन को मासिक/तिमाही आधार पर मानीटर करना ।

–जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी है, उसके कार्य के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में संशोधन करना ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3278. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामले भी है जिनमें राज्य सरकारों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने संबंधी सहमति वापिस ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये जांच किन-किन मामलों से संबंधित थीं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) :

(क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990 से 1993 (जून, 1993 तक) के दौरान कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा 49 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पूछताछ/जांच करने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली गई थी ।

(ग) जांच, भारतीय दण्ड संहिता/केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के मामलों से संबंधित थीं ।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

3279. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1988-89 से 1992-93 के दौरान प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, विभागीय जांच और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण कितने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा गया तथा कितनों को पदोन्नति फिर से दे दी गई और तत्संबंधी विभागवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में विभाग-वार कितने-कितने मामले विभागीय जांच के लिए दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं और उनमें कितने-कितने मामले प्रथम और द्वितीय वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित हैं ;

(ग) क्या प्रतिकूल वार्षिक रिपोर्ट और विभागीय जांच लंबित होने की वजह से पदोन्नति से वंचित रखने संबंधी नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान प्रतिकूल वार्षिक रिपोर्ट और विभागीय जांच के आधार पर दण्डित और दोषमुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (घ) सूचना मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है ।